कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

–::आदेश::–

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के परिशिष्ट–2 के बिन्दु 9 के अनुसार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं मा.शि.बोर्ड से संबद्ध गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक,उच्च प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तथा माध्यमिक व सीनियर माध्यमिक कक्षाओं के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा।

राज्य सरकार के शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सत्र 2019–20 से पाठ्यक्रम में निम्नानुसार नवीन प्रावधान किये हैः–

कक्षा 1 से 8 हेतु

1. सत्र 2020–21 से कक्षा 1 से 5 में उर्दू विषय को छोड़कर शेष विषयों में वर्तमान आर.एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की पुस्तकें (हिन्दी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों में) यथावत लागू रहेगी। आर.एस.सी.ई. आर.टी. द्वारा कक्षा 1 से 8 में संस्कृत पाठ्यक्रम की पुस्तकें पूर्व की भांति संचालित रहेगी।
2. सत्र 2020–21 में कक्षा 1 से 8 में उर्दू विषय की प्रचलित एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें अनवरत निर्धारित रहेगी।
3. बिन्दु संख्या 1 व 2 के क्रम में सत्र 2020–21 से कक्षा 6 से 8 में एन.सी.आर.टी पाठ्यक्रम की पुस्तकें निर्धारित की गई है।
4. सत्र 2020–21 से कक्षा 6 से 8 में पंजाबी भाषा के लिये पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकें तथा सिन्धी भाषा के लिये महाराष्ट्र पाठ्यपुस्तक बोर्ड द्वारा प्रचलित पुस्तकें निर्धारित की गई है।
5. सत्र 2020–21 में कक्षा 6 से 8 में एन.सी.ई.आर.टी का पाठ्यक्रम लागू करने के फलस्वरूप राजस्थान के भूगोल,इतिहास एवं संस्कृति के लिये आर.एस.सी.ई.आर.टी द्वारा "हमारा राजस्थान" शीर्षक नाम से नवीन पुस्तके तीन भागों में कक्षा–6 हेतु हमारा राजस्थान भाग–प्रथम, कक्षा–7 हेतु हमारा राजस्थान भाग–द्वितीय, तथा कक्षा 8 हेतु हमारा राजस्थान भाग–तृतीय लागू की गई है।

कक्षा 9 से 12 हेतु

6. सत्र 2020–21 से कक्षा 9 व 11 में एन.सी.ई.आर.टी पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकें निर्धारित की जाती है। कक्षा 10 व 12 में इस सत्र 2020–21 में पूर्व संचालित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की निर्धारित पुस्तकें यथावत संचालित रहेगी। कक्षा 10 व 12 में भी सत्र 2021–22 से एन.सी.ई.आर.टी का पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकें संचालित की जाएगी।
7. राजस्थान के इतिहास, संस्कृति व स्वतंत्रता आन्दोलन को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की दृष्टि से सत्र 2019–20 के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार पाठ्यक्रम आधारित पुस्तक कक्षा 9 हेतु "राजस्थान का स्वतन्त्रता आन्दोलन एवं शौर्य परम्परा" तथा कक्षा 10 हेतु "राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति" निर्धारित की गई है।
8. भारत की आजादी के बाद के विकास आधारित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 11 के लिये निर्धारित पुस्तक "आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत" भाग–प्रथम तथा कक्षा 12 के लिये निर्धारित पुस्तक "आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत लागू की गई है।

उपर्युक्तानुसार बिन्दु 1 से 8 में उल्लेखानुसार पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकें राज्य की सरकारी तथा मान्यता प्राप्त तथा माध्यम शिक्षा बोर्ड से संबंध विद्यालयों में संचालित की जा रही है। प्रत्येक राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय, जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है को तद्नुसार पाठ्यक्रम एवं निर्धारित पुस्तकें संचालित करनी है, शासकीय निर्देशों के विपरीत अन्य पुस्तकें पाठ्यक्रम स्वयं के स्तर पर संचालित करने पर राजकीय आदेशों की अवहेलना समझी जाएगी तथा उन विद्यालयों के विरूद्ध गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था नियम 1993 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

D:\ma - D\General letter

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा / पीएसपी / 60573 / राज्य बाल आयोग / N.C.E.R.T / जयपुर / 20–21 / 11 दिनांकः– 18.09.20

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार),राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा(ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि शासन के आदेश पत्र के क्रम में पाठ्यपुस्तकें एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा विशेषज्ञों के समिति गठित कर तैयार करवाने, मुद्रण करवाने एवं लागू किए जाने की अनुमति दी जाती है। (शासन के पत्रांकः–प.5(1) प्राशि / आयो / 2019 जयपुर, दिनांक 10.09.2019 तथा पं. 3(6) / शिक्षा–6 / 2015 पार्ट जयपुर दिनांक 11.09.2019) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए राजस्थान पाठ्यपुस्तक मण्डल,जयपुर को आवश्यक संशोधन / शुद्धीकरण की सॉफ्ट कापी उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
5. संयुक्त सचिव,राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,राजस्थान जयपुर।
6. उपनिदेशक (आरटीई),प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर को पीएसपी पोर्टल पर अपलोड करने हेतु तथा उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु।
7. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि यह पुष्टि करावें कि सभी गैर सरकारी विद्यालय शासन द्वारा निर्धारित पुस्तकों का ही शिक्षण अपने विद्यालय में करा रहे है अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव भेजे।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
12. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. समस्त गैर–सरकारी विद्यालयों को उक्त आदेशों की अक्षरशः पालनार्थ पाबन्द किया जाता है।

18/9/20

उप–निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

D:\ma - D\General letter